DOI: 10.51220/hjssh.v7i1.7

Himalayan J. Soc.Sci. & Humanities Vol-7 pp.43 - 51, December, 2012, ISSN. 0975 - 9891

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: प्रभाव एवं मुख्य चुनौतियां

आर० एन० गैरोला' एवं विक्रम सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग,
हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Received: 07-05-2012 **Revised: 19-07-2012** **Accepted: 27-09-2012**

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के महत्व को विश्लेषित किया गया है। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का विस्तीर्ण वर्णन करते हुए इसके प्रभावों की भी विवेचना की गई है, साथ ही इसकी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है।
KEY-WORDS: सूचना अधिकार अधिनियम 2005, प्रक्रिया, महत्व, प्रभाव, चुनौतियाँ

एक उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि उसे इस बात की सूचना हो कि लोक संस्थाएँ किस प्रकार कार्य कर रही हैं।[1] वस्तुतः जनता की समृद्धि ही लोकतंत्रीय सरकार व शासन की ताकत है।[2]

लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तविक सत्ता तथा संप्रभुता जनता में निहित होती है। लेकिन ''प्रशासनिक निरंकुशता व उत्तरदायित्वहीनता की यह समस्या लोकतंत्रीय व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। लोकतंत्रीय व्यवस्था का मूल आधार ही स्वशासन, सुशासन व उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्वपूर्णता व पारदर्शिता पर ही स्वशासन व अनुशासन की सुनिश्चितता निर्भर होती है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से संसदीय व्यवस्था सर्वोत्तम कही गई है। क्योंकि इसमें प्रशासन सरकार तथा सेवी वर्ग अपने कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते है''।[3] यदि सरकार की नीतियों में पारदर्शिता हो तो जनता का शासन-प्रशासन में विश्वास बढ़ता है। लेकिन जब सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता तथा उतरदायित्व का अभाव हो तो शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को और प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। फलतः नागरिकों को सरकार की नियत पर संदेह होने लगता है, तथा नागरिक स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं।

''सूचना के अधिकार से प्रतिनिधि लोकतंत्र का स्वरूप भागीदारी लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। यदि नागरिकों को अच्छे ढंग से सूचना प्राप्त होती है तो वे बेहतर ढंग से चुनाव कर सकते हैं तथा प्रशासन में भागीदारी करने में भी समर्थ हो जाते हैं''।[4]

सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला भारत विश्व का न तो प्रथम राष्ट्र है, और न ही अकेला राष्ट्र क्योंकि उससे पूर्व इस कानून को विश्व के लगभग 60 देश लागू कर चुके हैं। स्वीडन, विश्व का पहला देश है जहाँ सूचना की आजादी के लिए **'फ्रीडम आफॅ प्रेस एक्ट'** सन् 1776 पारित किया गया।[5] सूचना के अधिकार की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सयुंक्त राष्ट्रसंघ ने 1948 ई0 में घोषणा की-

©SHARAD

''जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखना, उसे प्राप्त करना तथा किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी एवं विचारों का प्रसार करना मनुष्य का मौलिक अधिकार है।''

इतिहास में विचारों की लहर को रोकना कठिन हो जाता है। इस तरह धीरे-धीरे एक के बाद एक दुनिया के राष्ट्र सूचना अधिकार के कानून को अपनाते गए। इसी दृष्टि में भारत में सूचना अधिकार कानून एक लम्बे संघर्ष तथा आन्दोलन का प्रतिफल है। 1994 में राजस्थान के किसानों ने अरूणा राय एवं निखिल डे के नेतृत्व में **'हमारा पैसा हमारा हिसाब'** आन्दोलन के जरिए सूचना के अधिकार को देश भर में ख्याति दिलाने वाले अगुवा दस्ते का गौरव हासिल किया। भारत में जानने के अधिकार को लेकर आन्दोलन का श्रेय राजस्थान के सुदूर गाँवों के गरीब किसानों को जाता है। यह आन्दोलन महानगरों के तथाकथित बुद्धिजीवियों या देश के मध्यवर्ग ने शुरू नहीं किया। पारदर्शिता का यह आन्दोलन गाँवों, पंचायतों में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्षरत ग्रामीणों एवं गरीब मजदूर किसानों की देन है।[6]

राजस्थान से शुरू होता यह जन आन्दोलन अनेक संगठनों, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और अन्य व्यक्तियों से लिये प्रेरणा का स्रोत बना। इस पहल का अन्य प्रमुख लाभ यह हुआ कि अनेक अन्य राज्यों द्वारा भी सूचना के अधिकार पर कानून का निर्माण किया गया। इनमें तमिलनाडु देश का प्रथम राज्य है, जिसने सूचना अधिकार के विधेयक को 1997 में पारित किया। तमिलनाडु के बाद गोवा, (1997), कर्नाटक, (2000), दिल्ली, (2001), असम, (2002), महाराष्ट्र, (2002), मध्यप्रदेश, (2003) तथा जम्मू व कश्मीर, (2004) आदि राज्यों द्वारा कानून बनाये गये और अन्ततोगत्वा केन्द्रीय विधि को लाने का प्रयास किया गया।[7] अंतत: इसे मार्च 2005 में संसद में पेश किया गया। 11 मई 2005 को लोकसभा में 144 संशोधनों के साथ यह अधिनियम पारित हुआ। 12 मई को राज्य सभा में भी इसे पारित कर दिया गया। 12 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी। इस तरह 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार पूरे देश में प्रभावी हो गया। (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, जहाँ विधानसभा द्वारा पहले ही सूचना अधिकार कानून पारित एवं लागू किया जा चुका था। इसके अलावा, केन्द्र सरकार से जुड़े निकायों के संबंध में सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना माँगने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भी प्राप्त है।)[8]

सूचना का अधिकार क्या है?

'सूचना का अधिकार' का अर्थ है वह नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकारी के स्वामित्व में मौजूद उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति जो निजी जीवन से जुड़ी हों या जो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हैं।[9] कोई भी नागरिक किसी भी निकाय से अपने काम की सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी लोक निकायों को अपने दैनिक कार्यकलाप के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं को सूचना पटल पर लोगों की जानकारी के लिए प्रदर्शित करना भी आवश्यक है।[10]

अधिनियम की धारा 2(ञ) के अन्तर्गत सूचना अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि **''सूचना का अधिकार''** से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है-

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।

(ii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

(ii) "फ्लॉपी, टेप, वीडियों कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंट आऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना'' सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि 'इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा'।

इस प्रकार सूचना का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध है। इसकी शब्दावली तथा भावना को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नागरिक किसी भी विभाग से वांछित सूचना को प्राप्त कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों से आवेदन लेने तथा उन्हें सूचना उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही देश और राज्य के सभी लोक प्राधिकरणों में लोकसूचना अधिकारी की नियुक्ति संवैधानिक बाध्यता है। इस प्रकार प्रत्येक विभाग में एक लोकसूचना अधिकारी होता है तथा जिससे आम नागरिक सूचना की मांग कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के सम्बन्ध में पूरी जानकारी न हो, तब भी वह विभाग का नाम तथा लोक सूचना अधिकारी लिखकर संबंधित विभाग से आवश्यक सूचना की प्राप्ति के लिए मांग कर सकता है। सरकारी विभाग के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन, वित्तीय सहायता से चलने वाले स्वयंसेवी एवं अन्य प्रकार की संस्थाओं से भी सूचना मांगी जा सकती हैं। वस्तुतः सभी सरकारी विभाग, संगठन, कार्यालय, उपक्रम, स्थानीय निकाय, बोर्ड, आयोग, निगम, अस्पताल, विश्वविद्यालय, जिला परिषद, पंचायतें और ऐसी अन्य संस्थाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। संसद सभी अदालतों, विधानसभाओं, विधानपरिषदों आदि से जुड़ी सूचनाएं भी इसके दायरे में आती हैं।

किसी भी प्रकार की सूचना पाने के लिए आवेदक को एक आवेदन करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आवेदन का कोई खास प्रारूप या फार्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सादे कागज पर लिखकर आवेदन जमा कर सकता है, हालांकि कुछ विभागों ने अपनी ओर से फार्म जारी किए है। ऐसे फार्म पूर्णतः विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। आवेदन के साथ 10 रूपये शुल्क, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर आदि के माध्यम से भुगतान करना होता है। सूचना से सम्बन्धित ए फोर या ए थ्री आकार प्रति पृष्ठ के दस्तावेज के लिए 2 रूपये प्रति शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे बड़े आकार के कागज पर दिए गए दस्तावेजों के लिए वास्तविक कीमत अदा करनी पड़ती है। इसी तरह नमूने या मॉडल की वास्तविक लागत का भुगतान करना होता है। किसी दस्तावेज के निरीक्षण के लिए भी शुल्क जमा करना होता है। यह शुल्क केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने अलग-अलग निर्धारित कर रखा है। किन्तु यदि कोई आवेदक गरीबी रेखा के नीचे अथवा बी0पी0एल0 श्रेणी में आता हो तो, उसे आवेदन के साथ सूचना शुल्क के रूप में 10 रूपये जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वह इसके बदले आवेदन पत्र में लिख सकता है कि मेरा बी0पी0एल0

क्रमांक....है। कृपया मुझे सूचना उपलब्ध करायें। लेकिन आवेदन पत्र के साथ बी0पी0एल0 कार्ड की छाया प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध हिन्दी, अंग्रेजी अथवा किसी भी स्थानीय भाषा में दिया जा सकता है। लेकिन आवेदन को सूचना मांगने के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आवेदन द्वारा सूचना मांगने के लिए आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष स्वयं तथा डाक द्वारा जमा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना अनुरोध पत्र इलैक्ट्रानिक तरीके से ई-मेल के जरिए भी भेज सकता है। ऐसे मामलों में एक सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क भेजा या जमा किया जा सकता है। साथ ही आवेदन पत्र में अपना नाम पता मांगी गई सूचना का ब्यौरा, सूचना की प्रकृति आदि अंकित करना आवश्यक है, जिससे सूचना प्रेषित करने में संम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को सुविधा हो सके।

किसी भी आम नागरिक द्वारा सूचना की मांग की जाने पर उसे संबन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना एक माह के भीतर उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन यदि उसे 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दी जाती अथवा जो सूचना उसे दी गई है, उससे यदि वह संतुष्ट न हो तो उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है। यदि वह वहाँ से भी संतुष्ट न हो, तो वह अपनी सूचना से सम्बन्धित शिकायत को 90 दिनों के अन्दर केन्द्र एवं राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकता है। यदि उसकी शिकायत किसी केन्द्र सरकार के विभाग से हो तो केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकता है और यदि राज्य सरकार के विभाग से हो, तो राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का महत्त्व

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सूचना अधिकार कानून नागरिकों को देश की आजादी के बाद अब तक प्राप्त एक महत्वपूर्ण अधिकार है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 31 अनुच्छेद, 6 अध्याय तथा 2 अनुसूचियां हैं।

सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को बेहतर तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जिससे वे नीति-निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है और शासन-प्रशासन में सहभागिता का परिचय देते हैं। नागरिकों एवं सरकार के बीच विश्वास एवं संबंधों में घनिष्ठता बढ़ी है। इस कानून से निर्धन, असहाय, शोषित, वंचित वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का अविर्भाव पैदा हुआ है। इस अधिकार की आवश्यकता और महत्त्व को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से जाना जा सकता है:-

1. सूचना का अधिकार कानून मूलभूत मानवाधिकारों की श्रेणी में आता है। यह मनुष्यों की आतंरिक मर्यादा पर बल देता है। इससे वंचित लोगों में आशा की किरण उत्पन्न होती है तथा जनसहभागिता की दृष्टि से भी उपयोगी है। इस प्रकार यह अधिकार मानवाधिकारों का केन्द्र बिन्दु है तथा यह नागरिकों को अपने अधिकारों का बेहतर ढंग से प्रयोग करने की प्रेरणा देता है।

2. इस कानून ने जनता को जानने का हक प्रदान किया है, और अब हर नागरिक किसी कार्यालय संस्थान या अधिकारी से किसी सूचना के लिए भीख मांगकर नहीं बल्कि निर्भीकता पूर्वक पूछ सकते हैं, कि मेरा कार्य क्यों नहीं हुआ? अथवा कब होगा?[11]

3. इस कानून को पारित करने का उद्देश्य सरकारी विभागों के कार्यों में ईमानदारी, बेहतरीन कार्यक्षमता तथा खुलापन लाना है। सभी सरकारी विभाग, संस्थाएं, सस्थान, बोर्ड, बैंक, कंपनियों, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राज्य विधानसभाओं आदि सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार जनता को देना इस कानून का लक्ष्य है।[12]

4. लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने तथा पारदर्शी समाज के निर्माण में सूचना का अधिकार कानून मील का पत्थर साबित हो रहा है।[13]

5. इस कानून ने आम नागरिक को यह अधिकार दिया कि वह शासन-प्रशासन में अपनी सत्ता व संप्रभुता के उपयोग और दुरूपयोग पर नैतिक सवाल खड़ा कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभाव

सूचना का अधिकार कानून जनता के संघर्षों से बना ऐसा कानून है, जो आम जन को भारतीय लोकतंत्र में मालिक होने का अहसास देता है। कानून के प्रावधानों के अनुसार उसे वह हर सूचना मिल सकती है, जो लोकसभा तथा विधानसभा के चुनिंदा सदस्यों का मिलती थी। इस प्रकार बिना चुनाव लड़े ही आम व्यक्ति सत्ता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न बनाता है।

यह सूचना का अधिकार कानून का ही कमाल है कि बेलगाम नौकरशाही और लापरवाह विधायिका दोनों पर यह अकुंश लगता है और जवाबदेही को स्थापित करता है। अब कोई भी यह नहीं कह सकता है कि तुम पूछने वाले होते कौन हो? यह इसी कानून की ताकत है कि **'हम भारत के लोग'** (वी द पीपल ऑफ इण्डिया) की वास्तविक व्याख्या और अधिकारिता को आजादी के छह दशकों बाद इसी से व्यावहारिक स्वरूप मिल पाया है।

आज सत्ता की गोपन संस्कृति का भेदकर सूचना का अधिकार कानून का ब्रह्मास्त्र पूरे तंत्र की परते उधेड़ रहा है। सत्ता व्यवस्था की संडाध बाहर आ रही है, राजनेताओं और नौकरशाहों का गठबंधन इससे बेहद असहज महसूस कर रहा है।[14]

सूचना का अधिकार कानून ने पिछले 7 वर्षों के बहुत कम समय में देश के अन्दर लोगों का विश्वास जीता है। यह जनता के हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली औजार बन गया, जिसके प्रयोग से नागरिकों को संसदीय शक्तियां प्रदान कर दी, इस कानून का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसी संस्कृति का विकास हुआ।

सूचना का अधिकार कानून का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा जो निम्न प्रकार से हैं:-

1. सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद प्रत्येक विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड के रख-रखाव में पारदर्शिता बढ़ी है।

2. सरकार द्वारा वर्षों से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, मनरेगा, मिड डे मिल, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुये हैं।

3. इस कानून ने शासन-प्रशासन तंत्र को सुशासन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यह उन चन्द कानूनों में से एक है, जिसने आम जनता को उसकी सत्ता और संप्रभुता की ताकत का अहसास कराया है।[15]

4. सूचना का अधिकार ने भारतीय नागरिकों की भाषा बदल दी है। अब किसी भी सरकारी विभाग में वर्षों से लंबित अपने जायज कामों के सम्बन्ध में सीधे सवाल पूछ रहे हैं। अधिकारियों से हिसाब माँग रहे हैं कि उनका काम क्यों नहीं हुआ। किस अधिकारी की लापरवाही से मेरा नुकसान हुआ, उस अधिकारी को क्या सजा मिलेगी?[16]

5. आज सूचना का अधिकार केवल भ्रष्टाचार से लड़ने में ही सहयोगी साबित नहीं हो रहा है बल्कि वह सचाई को सामने लाने के लिये भी सबसे प्रभावी उपकरण बन रहा है।[17]

6. इस कानून के बनने के बाद ईमानदार अधिकारी खुश हैं, क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण पहले वे कई बार अपनी सही राय नहीं रख पाते थे, अब उनको मौका मिला है कि वे अपनी राय ईमानदारी से रख सकते हैं।

7. यह कानून जवाबदेही से भागते पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पता करने से लेकर जनहित का व्यापक नुकसान करने वालों की पहचान में मददगार रहा है,जनता ने अपनी जरूरत के हिसाब से इस कानून का प्रयोग किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य चुनौतियां

सूचना का अधिकार कानून कई अहम लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया था, जिससे सरकार की नीतियों शासन-'प्रशासन की कार्यप्रणालियों में जवाबदेही, पारदर्शिता तय हो सके। जनता को सुशासन व्यवस्था प्राप्त हो और भ्रष्टाचार में कमी आये। लेकिन इस कानून के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां ज्यादा बनी हुई हैं, जिनके परिणामस्वरूप इस कूानन का सक्रिय तथा निष्पक्ष रूप से क्रियान्वयन तथा पालन नहीं हो पा रहा है।

सूचना का अधिकार कानून की मुख्य चुनौतियां निम्म प्रकार से है:-

1. इस कानून को पहली सबसे बड़ा खतरा सूचना आयोगों से ही है। इसकी बडी बजह यह है, कि सात वर्ष पुराने इस कानून के कई मामले सूचना आयोगों में दो-तीन वर्षों से लंबित पड़े हैं। यदि यही सिलसिला में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, ऐसे में न केवल आम नागरिकों का इससे विश्वास घटेगा बल्कि आम जनता के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी।

2. सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। इनकी चयन प्रक्रिया दोशपूर्ण मानी गयी है। कई आलोचक कहते है कि सूचना आयोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार का एक साधन बनकर रह गया है।

3. देश की न्याय प्रक्रिया भी इसके लिये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि कई महत्वपूर्ण आदेशों पर स्टे हो जाता है। जिस तरह से अदालतें काम करती हैं, उससे एक मामला पांच दस साल तक खिंच जाता हैं यदि यही

सिलसिला रहा तो शक्तिशाली लोग अपने खिलाफ गये निर्णयों पर स्टे लेते रहे तो इससे इस कानून पर खतरा स्वाभाविक है।[18]

4. सूचना का अधिकार के समुचित कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी एक बड़ी बाधा है। शासन-प्रशासन की अधिकांश गड़बड़ियों में राजनेताओं की भी हिस्सेदारी होती है। इससे कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता कि जनता को इस अनियमितताओं की जानकारी मिले। यही कारण है कि सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में भी किसी दल ने कदम नहीं उठाये।[19]

5. भारत का अशिक्षित मेहनतकश सर्वहारा वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, दलिल शोषित वर्ग के लोग आज भी इस स्थिति में नहीं हैं कि उनके सूचना मांगने के आवेदन को स्वीकार न किए जाने या समय पर पूरी सूचना न मिलने की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने के लिए डाक रजिस्ट्री का व्यय वहन करें अथवा मजदूरी का समय व अर्थ बर्वाद करें अथवा उसकी अपील ज्येष्ठ अधिकारियों को कर सके।[20]

6. नौकरशाही का उदासीन रवैया एक बड़ी समस्या। नौकरशाही अब तक 'शासकीय गुप्त बात अधिनियम' के तहत हर सूचना को गोपनीय बनाये रखने की अभ्यस्त रही है। अब अधिकारियों के लिए यह कानून बेहद कष्टप्रद साबित हो रहा है।[21]

7. प्राय: यह देखा गया है कि समाज के कई निजी हित साधकों, सामंतों स्वार्थी व शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को ढाल बनाकर उनके नाम से बगैर शुल्क के आवेदन लगवाये जाते है व अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकारी कार्यो में रूकावट डालकर अधिकारियों को परेशान किया जाता है।[22]

8. केन्द्र तथा राज्य सूचना आयोगों को न तो पर्याप्त वित्तीय स्वायता प्राप्त है और न ही संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा प्राप्त है। अत: इन्हें वित्तीय स्वायता तथा चुनाव आयोग एवं कैग की तर्ज पर संवैधानिक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिये।[23]

9. कुछ मीडिया समूहों को छोड़ दें तो लगभग कारपोरेट मीडिया घराने भी इस कानून के भविष्य की राह के अड़चन हं[24]

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी तो है। लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन में कई जटिल चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जिसके कारण यह कानून वांछित रूप से प्रभावी नहीं हो पाया है।

इसके बावजूद यदि जनता द्वारा इसका विवेकपूर्ण तथा कुशलता के साथ उपयोग किया जाए तो देश को सच्चे लोकतंत्र और सुशासन की दिशा में आगे जाने का रास्ता खुल सकता है। इस कानून ने शासन प्रशासन तंत्र को सुशासन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यह उन चंद कानूनों में से एक है, जो जनता के लिये बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुये हैं। निसन्देह सूचना के अधिकार से शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसी संस्कृति का विकास हुआ है और अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य तथा योजनाओं से जुड़ी कोई भी सूचना किसी भी रूप में सहजतापूर्वक बिना किसी भय व संकोच के एक अधिकार के रूप में मांग सकता है।

यह कानून आम नागरिकों के हाथ में भ्रष्टाचार उजागर करने तथा सुशासन के द्वार तक ले जाने में प्रभावशाली हथियार है, अगर कार्यपालिका के पास शासकीय गोपनीयता कानून है, विधायिका के पास संसदीय विशेषाधिकार है, न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धी कानून है तो आम नागरिकों के पास भी सूचना का अधिकार कानून एक सशक्त हथियार आ गया है।

इस कानून की वर्तमान कुछ स्थितियों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है, कि सरकार, केन्द्र तथा राज्य सूचना आयोगों, अधिकारियों की उदासीनता इस कानून पर भारी पड़ रही है। केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग आदि संस्थाओं को कैग, चुनाव आयोग की तर्ज पर संवैधानिक संस्था का दर्जा मिलना चाहिए, और पूर्ण वित्तीय सहायता भी उपलब्ध की जानी चाहिए।

अतः इस कानून के प्रयोग के दायरे में प्रत्येक नागरिक को लाना है तो जरूरी है कि आम नागरिक को सही अर्थो में इस कानून से सम्बन्धित समस्त पूर्ण तथा सही जानकारियां हो, और इस दिज़ा में, मीडिया, टेलीविजन, रेडियों समाचारपत्रों के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग इस कानून से लाभान्वित हो, तभी इस कानून की सार्थकता सिद्ध होगी।

संदर्भ

1. चंदन वाला, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में सूचना अधिकार, (लेख), संतोष खन्ना (संपादित), सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन एवं चुनौती, विधि भारती परिषद वी0एच0, 47 बाग दिल्ली, 2009, पृ0 31
2. वीणा गोपाल मिश्रा, सूचना अधिकार अधिनियम स्वशासन से सुशासन तक, (लेख), संतोष खन्ना (सम्पादित), सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन एवं चुनौती, विधि भारती परिषद, वी0एच0 47 बाग, दिल्ली,2009, पृ0 85
3. तदैव, पृ0 86
4. आर0 के0 चौबे, सूचना अधिकार विधि, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स्, 2012,पृ0 5
5. आबिद रिजवी, सूचना का अधिकार, तुलसी पब्लिकेशन्स मेरठ, 2008, पृ0 39
6. विष्णु राजगढ़िया, अरविन्द केजरीवाल, सूचना का अधिकार, व्यावहारिक मार्गदर्शिका, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2010,पृ0 39
7. आर0के0 चौबे, पूर्वोक्त पृ0
8. विष्णु राजगढ़िया, अरविन्द केजरीवाल, पूर्वोक्त पृ0 32
9. कल्पना भारद्वाज, सूचना का अधिकार : कुप्रशासन पर नियंत्रण, (लेख), संतोष खन्ना (संपादित), सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन एवं चुनौती, विधि भारती परिषद वी0एच0 47 बाग दिल्ली, 2009, पृ0103
10. तदैव पृ0 103
11. जनकसिंह मीणा, सूचना का अधिकार, राजा पाकेट बुक्स दिल्ली 2012, पृ0 14

12. राजेन्द्र पाण्डेय, सूचना का अधिकार, डायमंड पॉकेट बुक्स नई दिल्ली, 2012,पृ0 12
13. जनक सिंह मीणा, पूर्वोक्त पृ0 15
14. अरूणा राय/भंवर मेघवंशी, अपनी मानसिकता और मंसूबा बदल ले सरकार, (लेख), हस्तक्षेप परिशिष्ट, राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2011, पृ0 1
15. दैनिक जागरण, देहरादून, 16 अक्टूबर 2011
16. विष्णु राजगढ़िया, अरविन्द केजरीवाल, पूर्वोक्त पृ0 83
17. अरूणा राय/शंकरसिंह, सूचना का अधिकार नई दिशाओं की ओर, (लेख), राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2010, पृ0 4
18. शैलेष गाँधी, प्रभावी कानून पर मंडराता खतरा, (लेख), दैनिक जागरण, देहरादून, 22 जुलाई 2012 पृ012
19. विष्णु राजगढ़िया, अरविन्द केजरीवाल, पूर्वोक्त पृ0 36
20. भगवान दास, प्रशासनिक उत्तरदायित्व की दिशा में एक अभिनव क्रांति सूचना का अधिकार अधिनियम, (लेख), संतोष खन्ना (संपादित), सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन एवं चुनौती, विधि भारती परिषद वी0एच0 47 बाग दिल्ली, 2009, पृ0 84
21. विष्णु राजगढ़िया, अरविन्द केजरीवाल, पूर्वोक्त पृ0 37
22. भगवान दास, पूर्वोक्त, पृ0 84
23. हिस्दुस्तान, देहरादून, 15 अक्टूबर 2011
24. अरविंद केजरीवाल, लम्बी है यह लड़ाई, (लेख), हस्तक्षेप परिशिष्ट, राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2010, पृ0 3